

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 27/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 08 अप्रैल 2021

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 10/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.07.2018, का.आ.3590 (अ) दिनांक 24.07.2018 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 6 के स्तंभ सं. 3 और 4 में मौजूदा शब्दों "फा. सं. DRI/AZU/GRU/EPCG-SKY/Int-19/2017 दिनांक 18.06.2018" तथा "न्हावा शेवा-III" को क्रमशः "फा. सं. DRI/AZU/GRU/EPCG-SKY/Int-19/2017 दिनांक 18.06.2018, दिनांक 05.03.2021 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय" तथा "न्हावा शेवा-II" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-8/2018-CI]

(दीपक कुमार)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
4. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद को उनके पत्र सं. DRI/AZU/GRU/EPCG/SKY/Int-19/2017/8916 दिनांक 08.03.2021 के संदर्भ में.